संख्या: 151 /18(1)/2006

प्रेषक,

एन०एस०नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 28 जून, 2006

विषय:–मुख्यालय पौड़ी में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की स्वीकृत धनराशि से अम्बेडकर पुस्तकालय–वाचनालय भवन निर्माण हेतु 0.008 है0 भूमि निःशुल्क पट्टे पर हस्तान्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 2037/21-5-एस0पी0सी0(2005-006) दिनांक 23 मार्च, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एंव अल्प संख्यक संयुक्त कल्याण समिति, गढ़वाल को अम्बेडकर पुस्तकालय–वाचनालय भवन के निर्माण हेतु राजस्व अनुभाग–1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या–556/18(1)/73–रा–1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक 12–9–97 में दिये गये प्राविधानों में शिथिलता प्रदान करते हुये रु0 1/– नजराना एंव वर्तमान दर पर निकाली गयी मालगुजारी के तीस गुना (रु0 450–00 रु0 चार सौ पचास मात्र) के बराबर वार्षिक किराया नियत करके ग्राम काण्डई पट्टी नानदलस्यूं तहसील पौड़ी जिला गढ़वाल के खसरा संख्या–56 मध्ये 9 X 7 एंव 4 X 3 वर्ग मीटर अर्थात 0.008 है0 भूमि निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तारित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा0–6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्टस एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्षों के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(2)

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पटटेदार की न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए उन्हें कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि समिति का विघटन हो गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) पुस्तकालय एवं वाचनालय का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जायेगा।

(7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या 1 से 6 तक में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि सह निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, समाज कल्याण, उत्तरांचल शासन।
2- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4- महासचिव, उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक संयुक्त कल्याण समिति,पौड़ी ।
5- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन स्वरूप)
अपर सचिव।